

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 80/2022 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2022/83)

बलवीर पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी लोधाहेडी तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार नगर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश
अति० जिला कलक्टर डीग निर्णय दिनांक 29.3.2022 (91 एल
आर एक्ट) व तहसीलदार नगर निर्णय दिनांक 30.01.2020



उपरिस्थिति:-

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:- 26.09.2023

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 29.3.2022 व तहसीलदार नगर की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.01.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार नगर ने आदेश दिनांक 30.1.2020 से अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी स्थित ग्राम गहनकर खसरा नम्बर 275/0.08 है० चारागाह सिवायचक पर फसल बोककर अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमित भूमि से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। इस निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील तहत अदालत अति० जिला कलक्टर डीग के न्यायालय में पेश की गई। अति० जिला कलक्टर डीग द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.3.2022 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार नगर का निर्णय दिनांक 30.01.2020 को यथावत रखा गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोजेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि तहसीलदार नगर की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.01.2020 व अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग की ओर से पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का विवादित खसरा नंबर 275 रकबा 0.08 है० किस्म चारागाह में किसी

२६/९/२०२३
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। तहसीलदार नगर की ओर से अपीलाधीन निर्णय जारी किए जाने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया। विवादित भूमि पर पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिचारी होना बताया है, परन्तु इस रिपोर्ट में यह उल्लेख नहीं किया कि कौन-से वर्ष व सम्वत में अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में अपीलान्त को कब बेदखल किया गया। तहसीलदार की ओर से जारी नोटिस में भी केवल गत वर्ष अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु कौन-से वर्ष में अतिक्रमण किया गया। इसका न तो तहसीलदार नगर की पत्रावली में कोई रिकार्ड है और न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के संबंध में पटवारी हल्का के बयान, घटनाबही की प्रति, पूर्व बेदखली की रिपोर्ट आदि संलग्न की गई है। इसके बावजूद भी तहसीलदार नगर की ओर से अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिए बिना विवादित भूमि पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली, लगान की 50 शास्ती तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है, जो कि नियम विरुद्ध है। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा भी उनके समक्ष प्रस्तुत हुई अपील में वर्णित तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.03.2022 को पारित करते हुए अपीलान्त की अपील को खारिज किया है, परन्तु उक्त निर्णय में यह उल्लेख नहीं किया कि अपीलान्त विवादित भूमि पर किस तरह से पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। जबकि उपरोक्त तथ्य अपीलान्त के वकील की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए। अपीलाधीन निर्णय की पालना में विवादित भूमि से बेदखल किए जाने की दिनांक 11.02.2020 की रिपोर्ट तहसीलदार नगर की पत्रावली में संलग्न है, जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण अपीलान्त का नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2020 व 29.03.2022 निरस्त किया जावे तथा पश्चातवर्ती अतिचार के प्रकरण में पुनः जांच किए जाने बाबत प्रकरण तहसीलदार नगर को रिमाण्ड किया जावे।

वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तहसीलदार नगर की ओर से पारित आदेश दिनांक 30.01.2020 अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग की ओर से पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलान्त की ओर से उक्त अपील मियाद बाहर पेश किए जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किए जाने योग्य है। इसके अलावा अपीलान्त के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का की ओर से पेश किए जाने व इस रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिचार होने का उल्लेख किए जाने के कारण तहसीलदार नगर की ओर से अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस की तामील अपीलान्त को स्वयं पर होने के बावजूद नियत पेशी



12/3
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भरतपुर

पर तहसीलदार नगर के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण तहसीलदार नगर की ओर से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अति० जिला कलक्टर डीग की ओर से भी अपीलाधीन निर्णय अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद ही पारित किया है। जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। चूंकि तहसीलदार नगर एवं अति० जिला कलक्टर डीग द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्ड के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2020 व 29.03.2022 यथावत रखा जावे।



रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्त ने तर्क दिया कि अदालत हाजा में अपीलान्त की ओर से द्वितीय अपील पेश की गई है। जिसमें अपील पेश करने की मियाद 60 दिवस है। अपीलान्त अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के निर्णय दिनांक 29.03.2022 की प्रति दिनांक 02.05.2022 को प्राप्त होने के बाद दिनांक 24.05.2022 को अदालत हाजा में अपील पेश की गई है, जो कि अन्दर मियाद है। जहां तक पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो न तो पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस का उल्लेख किया कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में विवादित भूमि पर कब अतिक्रमण किया गया था और न ही तहसीलदार नगर की ओर से निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के बयान ही लिए गए, जिसमें उल्लेख हो कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में विवादित भूमि पर कौन-से वर्ष में कब अतिक्रमण किया गया था। उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने का कब आदेश दिया गया था। इस आदेश की पालना में अपीलान्त को कब बेदखल किया गया था। इसके बाबजूद भी तहसीलदार नगर द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। इस बिन्दु पर अति० जिला कलक्टर डीग द्वारा भी गौर नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।


अपीलान्त व रैस्पोजेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध खसरा नंबर 275 रकबा 0.62 है० किस्म चारागाह के 0.08 है० भूमि पर सरसों की फसल बोककर अतिक्रमण किए जाने व पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट तहसीलदार नगर के समक्ष पेश की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार नगर की ओर से अपीलान्त को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया। जिसमें दिनांक 30.01.2020 को अदालत में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। इस नोटिस की अपीलान्त को असागतन तामील होने के बाबजूद भी उपस्थित नहीं होने के कारण तहसीलदार नगर की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2020 को पारित किया गया है। अतः वकील अपीलान्त का यह तर्क कि अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया है, सारहीन हो जाता है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्त को

128
26/5/2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तहसीलदार नगर ने बेदखली व लगान के 50 गुना शास्ती के दण्ड के साथ-साथ 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है तो इस संबंध में तहसीलदार नगर की ओर से प्राप्त हुई पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट को यद्यपि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार होना बताया है, परन्तु इस रिपोर्ट की तार्ईद में इस तरह का कोई दस्तावेज रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं किया गया है कि पूर्व के किस वर्ष में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब पारित किया गया था। निर्णय की पालना में कब बेदखल किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट के समर्थन में पटवारी हल्का के बयान, घटनाबही की नकल, पूर्व की बेदखली रिपोर्ट आदि प्राप्त कर पत्रावली में संलग्न नहीं की गई। केवल मात्र पटवारी हल्का की ओर से रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का उल्लेख किए जाने के आधार पर ही सिविल कारावास की सजा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विद्वान अति० जिला कलक्टर डीग द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय में उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार नहीं किया गया। चूंकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2020 की पालना में दिनांक 11.02.2020 को बेदखल किए जाने व कब्जा लिए जाने की रिपोर्ट तहसीलदार नगर की पत्रावली में संलग्न है। जिसके अनुसार उक्त भूमि को पटवारी हल्का द्वारा कब्जेराज लिया जा चुका है। इसलिए तहसीलदार नगर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.01.2020 में पश्चातवर्ती अतिचार मानकर दिए गए 3 माह के सिविल कारावास की सजा को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार नगर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.01.2020 व अति० जिला कलक्टर डीग की ओर से पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 में वर्णित सिविल कारावास की सजा के दण्ड तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अभी भी अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान करते हुए पश्चातवर्ती अतिचार होने के बारे में समस्त रिकार्ड आदि प्राप्त करने व पटवारी हल्का के बयान लेने के बाद पुनः नये सिरे से स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(साँवर मन्व वमर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

